(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला : **पंचकूला,** थाना : **राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला**, वर्ष : **2016**, प्र0सु0रि0स0 : **02**

   दिनांक : **30.03.2016**

2. धारा **7 पी0सी0 एक्ट, 1988**

3. (क) अपराध की घटना : **30.03.2016**

   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : **दिनांक 30.03.2016 समय : 8:40 पी0एम0।**

   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : **10**

4. सूचना का प्रकार : **लिखित।**

5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी : **पूर्व करीब 4 किलोमीटर।**

6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :

   नाम : **जोध सिंह**

   पिता का नाम : **स्व0 श्री किशोरी लाल**

   राष्ट्रीयता : **भारतीय।**

   व्यवसाय :**सामाजिक कार्यकर्ता।**

   पता :**मकान नं0 1272 इन्दिरा कालोनी, कैम्पलैक्स मनीमाजरा चण्डीगढ।**

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : **ASI सुरेन्द्र CIA -2 सैक्टर 12 पंचकूला।**

8. लिंग : **पुरूष**

   भाषा : **हिन्दी।**

9. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : **कोई नहीं।**

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– **सेवा में, श्री मान एस एच ओ साहिब ji थाना राज्य चौकसी ब्यूरों सै0 –17 पंचकुला विषय :–** <u>कानूनी कार्यवाही हेतू</u> **मान्यवर जी. निवेदन है कि मैं जोध सिंह पुत्र स्वः श्री किशोरी लाल वासी ≠ 1272.इन्दिरा कालोनी कम्पलैक्स मनी माजरा चण्डीगढ का निवासी हूँ। तथा एक सामाजिक कार्य कर्ता के तौर पर मेरी पहचान है। सर दिनांक 19.3.16 को मै अपने घर बैठा था । तबी मेरा जानकार निपाज पुत्र श्री रफीक वासी ≠1701 इन्दिरा कालोनी कम्पलैक्स मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वह अपनी मिस्त्री की दूकान पर बैठा काम कर रहा था। तबी दो आदमी सिविल कपडों में(सादे) मेरे पास आऐ जिन्होने मुझे कहा कि वह पुलिस वाले हैं। और मुझे अपनी गाडी मे बैठा कर C I A स्टाफ सै0 12 पंचकुला में ले गये।और मुझसे मोटर साईकिल के बारे में पुछताछ करने लगे। जो मैने सन्दीप को बेची थी। फिर मुझ से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा कर करीब दो घण्टे बाद मुझे छोड दिया । और बोले कि जब हम बुलाए तुम आ जाना । निपाज पुलिस के डर से घबराया हुआ था ।मैने निपाज की बात सुनकर मैने निपाज से संबधित पुलिस अधिकारी का फोन नं0 9416429162 ले कर अपने फोन नं. 9855841272 से उस अधिकारी को फोन किया । जो रिकार्डडिग है। फोन पर सुरेन्द्र ASI ने सेवा पानी करने की बात कही तो P T O निपाज ने मुझे 2000/रू दिये और मै 2000/रू ले कर सै0 12 पंचकुला C I A -2 कार्यालय में पंहुचा । जहॉ पर ASI सुरेन्द्र ने मुझ से निपाज का मुकदमें में से नाम निकालने की एवज मे 5000/= रू की रिश्वत मांगी जिस पर मैने निपात द्वारा दिये गये 2000/रू मौका पर ASI सुरेन्द्र को दे दिये। जिसने मुझसे कहा कि वकाया 3000/=रू का इन्तजाम करके आ जाना। निपाज का नाम मुकदमे से निकाल दिया जायेगा। मैने निपाज से इस बारे बात की तो निपाज ने पैसे का इन्तजाम करके उस को मुकदमे से निकलवाने के लिए आज दिनांक 30/3/16 को मुझे 3000/=रू ASI सुरेन्द्र को बतौर रिश्वत देने के लिए दिये हैं। जो मै एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते 3000/=रू रिश्वत के तौर पर इस भ्रष्ट अधिकारी को नही देना चाहता । ओर इसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। ASI सुरेन्द्र के साथ की गई आपसी बात चीत के रिकार्डडिग का सीडी व 3000/=रू आपको पेश कर दिये हैं। ASI सुरेन्द्र के खिलाफ कानूनी कर्य वाही की जए। हस्ता:–(अंग्रेजी) जोध सिंह S/o श्री किशोरी लाल ≠1272 ईन्दिरा कालोनी CHD = 9855841272 .30/3/16** कार्यवाही पुलिस : इस समय मै उप पुलिस अधीक्षक हाजिर थाना हूँ कि जोघ सिंह **S/o Sh** किशोरी लाल **R/o** म0 न0 1272, इन्दरा कलोनी कम्पलैक्स मनी माजरा, चण्डीगढ ने एक लिखित दरखास्त हाजिर थाना आकर मेरे पेश की जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म **7 PC. Act 1988** का सरजद होना पाया जाता है, जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा हवाले निरीक्षक राजेश कुमार की गई। बाद कायमी मुकदमा पर्चा से

सूचित किया जाए और स्पैशल रिर्पोट मुकदमा हजा बजरिया स्पैशल मसैन्जर अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट को भिजवाई जाऐ। मै मय **E/Asi** राजकुमार 360/**AMB** , **HC** मुकेश कुमार 924/**JJR, HC** शाम लाल 289/**PKL** , **ct.**मनमोहन सिंह नं0 776/ **AMB** के बा स्वारी गाडी सरकारी **HR-03-K-1894** मय मुदई के बराये करने पूरी औपचारिकताएं रेड ,रवाना उपायुक्त कार्यलय पंचकुला का होता हूँ। रेडिंग किट (तफतीशी बैग) व लैपटाप हमरा लिया गया। हालात अफसरान बाला को सूचित किये गये। हस्ता :– (हिन्दी) सुरेश कुमार 30/3/16 उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर –17 पंचकुला। **at 8:40 PM** अज थाना : उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब पंचकुला की सेवा में व असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस बर मौका बदस्त **C-1** प्रीतपाल नं0 225/**KTL** के भिजावाई जा रही है व नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाऐंगी।

अनुसंधान अधिकारी :–**उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकुला।**

ईलाका मैजीस्ट्रेट :– **पंचकुला।**

बदस्त C-1 प्रीतपाल नं0 225/KTL

निरीक्षक, (राजेश कुमार न0 A/11),
थाना राज्य चौकसी ब्यूरों,
सैक्टर 17 पंचकुला।